

216/19

No Instruction

Am
12-6-19

वकुला है फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता कादीगण ने
 निवेदन किया कि कादीगण की भूमि है विद्यालय
 पेशी नहीं है। इस पर अधिवक्ता अधिकारी ने कोई
 एतराज नहीं किया। कादीगण के आज अदालत उठने
 तक बार बार आवाजे लगावाई गई। फलतः कादीगण
 की भूमि है कोई अदालत उपस्थित नहीं आता फलतः
 प्रकारण कइस पेशी कइस एजिरी के लीजिये किया
 जाता है। मिसल फेसल शुमार होकर नखर के कइस
 वाफ़ वफ़र वगैरह हो।

डाइरेक्शन कान सुले-मापालक के पुनाया गया।



(मोहनलाल खटनावलिया)
 उपखण्ड अधिकारी
 मसूजा (अजमेर) राज.

